**संख्या-148/2024/001-यू.ओ.-84/सैंतीस-2-2024**

प्रेषक,

**देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,**
**विशेष सचिव,**
**उत्तर प्रदेश शासन।**

सेवा में,

**निदेशक,**
**प्रशासन एवं विकास,**
**पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-19 सितम्बर, 2024

विषयः- **रिट याचिका संख्या-ए-1421/2024 डॉ0 शिव करन सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाँक-24.04.2024 के अनुपालनार्थ वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1520/बजट/29(5)/30/16/2024-25, दिनांक-23.08.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या-ए-1421/2024 डॉ0 शिव करन सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाँक-24.04.2024 के अनुपालन में याची को रू0-1.00 लाख वाद व्यय/अनुतोष प्रदान किये जाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में लेखाशीर्षक 2403-पशुपालन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-निदेशालय के मानक मद 42-अन्य व्यय (भारित) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0-1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,000 ( रुपये एक लाख मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 015 **लेखा शीर्षक** 2403000010300 निदेशालय **मानक मद** 42 अन्य व्यय (भारित) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक-04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

**(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)**
विशेष सचिव।

**पृ0सं0-148/2024/001-यू.ओ.-84/सैंतीस-2-2024 तद्दिनांक ।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी एवं संबंधित जिलाधिकारी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।

आज्ञा से,

**(सत्यवान सिंह)**
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।